सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 154 / 2017

बउनवान

श्री बाबूलाल पुत्र कालूलाल जाति बुर्जर निवासी मोरेला तह0 छबडा जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबडा जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री चैन सिंह सिरोहिया अभिभाषक **(अपीलांट)**

2– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 28.06.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 323 / 2017 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 03.11.2017 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम मोरेला की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2074 में खसरा नम्बर 988 रकबा 3 बीघा भूमि पर फसल मक्का की बोकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 3 माह (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं 150 / – रूपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 21.12.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यो के प्रतिकूल होने से काबिल खारजा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी जवाब देही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र गवाहो के अभाव मे निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। पत्रावली में अपीलांट का बेदखली नामा शामिल नही किया गया है तथा अतिक्रमण वाली आराजी की पेमाईश भी नही की है ओर न ही पेमाईश रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है ओर न ही कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किये गये है। अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नही है। अपीलांट द्वारा सरकारी तावान भी जमा करवा दिया है, ओर न ही सरकारी तावान बकाया है। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर, अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल मक्का की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया है। जिसकी तामील प्रोपर करवाई गयी है। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष सम्वत् 2073 में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। जिसे पटवारी हल्का द्वारा मौके से भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर अतिक्रमण नही करने हेतु पाबन्द किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2074 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षो के तर्को का मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। जिसकी तामील प्रोपर करवाई गयी। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी से कब्जा छोडने बाबत पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी अपील के साथ संलग्न नही की गई है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना पाया जाता है। हम पेरोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है ।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 323/2017 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 03.11.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां